'पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधि' विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिला सरपंचों के लिए आयोजित कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से ICPS द्वारा देश भर से आईं महिला सरपंचों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आपके साथ भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में चर्चा संवाद करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आप उस ऐतिहासिक सदन में विराजमान हैं, जहां बैठकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान के निर्माण के लिए गहन विचार विमर्श और चर्चा की थी और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया था।

यही वह स्थान है जहां आधुनिक, प्रगतिशील और लोकतान्त्रिक भारत के गणतंत्र की बुनियाद रखी गई थी। हमारे संविधान ने एक ऐसे समाज के निर्माण का आधार तैयार किया है जो समता, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं बंधुता पर आधारित हो।

आजादी के 75 वर्षों के बाद आज भी हमारा संविधान हमारा मार्ग निर्देशन कर रहा है। इतने विविधतापूर्ण देश में जहां भाषा की, धर्म की, वेश भूषा की विविधता इतनी ज्यादा हो, उसको एक सूत्र में बांधने का काम हमारे संविधान ने ही किया है।

मुझे अत्यंत खुशी है कि आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आए हैं। आज से लगभग तीन दशक पहले इसी भवन में संसद द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था जिसके माध्यम से देश के स्थानीय प्रशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन-केंद्रित शासन सुनिश्चित करना और उसे बढ़ावा देना था। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र हमारे देश में कोई नई अवधारणा नहीं है।

प्राचीन काल से ही लोकतंत्र हमारी सोच में रहा है, विचारधारा में रहा है, विचारशैली में रहा है। सामूहिक चर्चा संवाद से निर्णय लेना हमारी संस्कृति रही है। और निर्णय प्रक्रिया में नारी शक्ति को उसका उचित स्थान देना हमारे संविधान की आत्मा है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान

होता है, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर और समुचित महत्व दिया जाता है, वही समाज प्रगति करता है। आज हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हमारे वेदों में कहा गया है - निर्माण से प्रलय तक, पूरी सृष्टि का आधार नारीशक्ति ही है। आज चाहे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करना हो, या चाँद पर उतरने की हमारी ऐतिहासिक सफलता हो, ब्यूरोक्रेसी हो या टेक्नोक्रसी, चाहे गांव और गरीब के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी बात हो, या महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांवों में आजीविका के अवसर बनाने की बात हो, देश की नारीशक्ति हमारी विकास यात्रा में बराबर की भागीदार है।

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना और राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में उन्हें मुख्यधारा में लाना हमारा राष्ट्रीय एजेंडा रहा है।

लेकिन यह भी वास्तविकता है कि महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में, हमारे संविधान के उद्देश्यों और वर्तमान वास्तविकताओं के बीच की दूरी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि महिला पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त किए बिना गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसी वर्तमान चुनौतियों को प्राप्त करना मुश्किल होगा।

आप का कार्यक्षेत्र हमारे गांवों में है। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमारे गाँवों ने ही किया है। हमारे गांव देश के विकास और हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के केंद्र रहे हैं। इसलिए, एक आत्मनिर्भर गांव के निर्माण के लिए मजबूत पंचायत का होना आवश्यक है। पंचायत व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उसके अंतर्गत आने वाला एक-एक व्यक्ति उतना ही सशक्त होगा और तभी एक मजबूत लोकतंत्र का आधार तैयार होगा।

ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण जीवन की आशा-आकांक्षाओं की मूर्त रूप देने का है।

आज पंचायतें ग्रामीण विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही हैं। ग्रामीण समाज की हर छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने का, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का और विकास का लाभ समाज के अंतिम छोड़ पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर है। गरीबों का हित सुनिश्चित करने वाला हर अभियान ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है।

आज ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं के निर्धारण से लेकर उन्हें अमल में लाने तक पंचायत स्तर पर निर्वाचित आप महिला प्रतिनिधियों की भूमिका ज्यादा हो, इस दिशा में कार्य हो रहा है। और इस कार्यक्रम

का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप की यहाँ उपस्थिति पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का जीता-जागता प्रमाण है।

पंचायतों के अंदर महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि ऐसी अनेक महिला सरपंच हैं जिनके नेतृत्व में उनके गांवों में उल्लेखनीय सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और वे कई लोगों के लिए रोल मॉडल हैं।

आप निर्वाचित प्रतिनिधि समाज के गरीब वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के कार्य में जुटी हुई हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ सरपंचों ने अपनी सूझ-बूझ और रचनात्मकता से गाँव का विकास सुनिश्चित किया है।

पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने का दायित्व दिया गया है। ग्रामीण भारत का कायाकल्प करने सम्बन्धी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसी उद्देश्य से 'सबकी योजना, सबका विकास' नामक जन योजना अभियान (पीपल्स प्लान कैम्पेन) शुरू किया गया था, ताकि समग्र और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की जा सके। 'सबकी योजना, सबका विकास' में स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी है और इसका आशय योजना प्रक्रिया को और भी व्यापक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाना है।

आज हम विकास में महिला की सहभागिता, महिला सशक्तिकरण से महिला के नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद के नए भवन के पहले ही सत्र में सरकार ने ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य लोक सभा, राज्य विधानमंडलों और दिल्ली विधानसभा में कुल एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका लाने की दिशा में गेमचेंजर साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

हम सभी ने मिलकर अगले 25 वर्षों के अंदर एक नए एवं विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप को बड़ी भूमिका निभानी होगी।

मेरा मानना है कि पंचायतों को अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करनी चाहिएं, अपनी योजनाएं स्वयं बनानी चाहिएं और उन्हें ग्रामीणों और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों या नेताओं की भागीदारी से लागू करना

चाहिए। हमारा मानना है कि शासन में लोगों की भागीदारी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गुणवत्ता मापने की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है।

मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अब महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से महिलाओं के नेतृत्व में विकास और सशक्तिकरण की ओर बढ़ना होगा।

ग्रामीण समाज के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस अवसर पर मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा। आप व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों ही स्तरों पर यह सुनिश्चित करें कि गाँव के सभी बच्चे और विशेषकर बेटियां स्कूल जाएँ, कोई भी बीच में पढ़ाई न छोड़े।

स्कूलों में या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर गरीब बच्चों की किस तरह मदद की जा सकती है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, इस दिशा में प्रयास करें, इसमें अपना योगदान दें।

आज जब हम आजाद भारत के स्वर्णिम काल के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। इसमें लोकतंत्र की सबसे ज़मीनी इकाई, ग्राम पंचायत की, आप सभी साथियों की बहुत अहम भूमिका है।

मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा संबंधित विषयों पर, और नवीनतम उपलब्ध तकनीकों के प्रयोग को लेकर आपका जो ज्ञानवर्धन होगा, जो अनुभव मिलेगा, उससे आपको अपने लक्ष्यों की पूर्ति में, अपने संकल्पों के सिद्धि में मदद मिलेगी।

आप में मुझे एक नई आशा, एक नई उमंग दिख रही है, नए संकल्पों का उत्साह दिख रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्रामीण विकास के सतत लक्ष्यों को पूरा करने में, हमारी पंचायत राज व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने में आप नारी शक्ति एक सशक्त माध्यम बनेगी।

मैं इस जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए ICPS तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं।

धन्यवाद।